

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा

आवश्यक सूचना

दिनांक :- 01.02.2024

क्रमांक :- 269-77

पैरालीगल वॉलेन्टियर्स की नियुक्ति हेतु आम सूचना

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा जारी किये गये Scheme for Para-Legal Volunteers (Revised) & NALSA (Legal Services Clinics in Universities, Law Colleges and Other Institutions) Scheme, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्न सारणी के कॉलम संख्या 2 में अंकित क्षेत्र में विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा विधिक जागरूकता के प्रचार-प्रसार हेतु उनके सम्मुख अंकित संख्या में कुल 50 पैरालीगल वॉलेन्टियर्स (पी.एल.वी.) के पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र. सं.	पंचायत समिति	नवीन लिये जाने वाले पीएलवी की संख्या
1	बांसवाड़ा	10
2	घाटोल	4
3	छोटी सरवन	4
4	कुशलगढ़	4
5	सज्जनगढ़	4
6	वागीदोरा	4
7	गांगडतलाई	4
8	आनन्दपुरी	4
9	गढ़ी	4
10	अरथुना	4
11	तलवाड़ा	4
	कुल	50

पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बांसवाड़ा के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। पैरा लीगल वॉलीयन्टर्स विधिक सेवा क्लिनिक का संचालन करेंगे तथा आमजन एवं विधिक सेवा संस्थाओं के मध्य कड़ी का कार्य करेंगे व पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित गानदेय का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। पीएलवी की नियुक्ति अधिकतम 1 वर्ष के लिये की जावेगी।

उक्त सारणी में अंकित पंचायत समिति के समक्ष उल्लेखित पी.एल.वी. हेतु उस पंचायत समिति के स्थानीय निवासीयों को प्राथमिकता दी जायेगी। जिला मुख्यालय हेतु पी.एल.वी. के चयन में भी स्थानीय सीमा (परन्तु अलग वार्ड या क्षेत्र) के निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी। स्थानीय निवासी नहीं मिलने पर पड़ोस की पंचायत समिति के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी। सामान्यतः चयनित पीएलवी का कार्यक्षेत्र सम्बन्धित पंचायत समिति क्षेत्र होगा परन्तु प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता होने पर अन्य क्षेत्र में भी विधिक सेवा सम्बन्धी कार्य सौंपे जा सकेंगे।

1. शैक्षणिक योग्यता :- आवेदक का शिक्षित होना आवश्यक है। वरीयता का आधार आवेदक का दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।

2. आवेदन पत्र :- अभ्यर्थी आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय ए.डी.आर. सेन्टर, माही कॉलोनी, बांसवाड़ा से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं अथवा जिला न्यायालय की वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/banswara> से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।
3. परीक्षा :- आवेदकों का प्रशिक्षण हेतु चयन करने के पश्चात् उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा व प्रशिक्षण के पश्चात् पी.एल.वी. की लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार लिया जाकर उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त पी.एल.वी. माना जाकर सफल घोषित किया जायेगा। सफल घोषित किये जाने के पश्चात् उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहचान पत्र दिया जायेगा जिसमें राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रतिक चिन्ह होगा।
4. चरित्र :- आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के सम्बन्धी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण-पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
5. शारीरिक योग्यता :- आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो कि सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए।
6. आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावे :-
 - 1- जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अथवा प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
 - 2- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति।
 - 3- दो मूल चरित्र प्रमाण-पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
 - 4- आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए।
 - 5- जाति प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित प्रति।
 - 6- आधार कार्ड एवं राशन कार्ड (निवास स्थान के सत्यापन हेतु) की स्वप्रमाणित प्रति।
7. आवेदन की अंतिम तिथि :- आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बांसवाड़ा के कार्यालय ए.डी.आर. सेन्टर, माही कॉलोनी, बांसवाड़ा में दिनांक 07.02.2024 को सायं 04.30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। इस तिथि के पश्चात् व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र विहित प्रारूप में न होने, अपूर्ण होने, वांछित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न न होने, आवश्यक प्रमाण-पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निररत कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
8. पात्रता :- पी.एल.वी. चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें शोर्टलिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। पी.एल.वी. के लिये निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हो सकते हैं :-
 - 1) सेवारत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक
 - 2) सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी एवं वरिष्ठ नागरिक
 - 3) एम.एस.डब्ल्यू छात्र/छात्राएं व अध्यापक
 - 4) आंगनवाडी कार्यकर्ता
 - 5) चिकित्सकगण
 - 6) विधि छात्र (जब तक वे अधिवक्ता के तौर पर अपना नामांकन नहीं कराये)
 - 7) गैर राजनीतिक स्वयं सहायता समूह, सेवा हेतु समर्पित एनजीओ एवं क्लब के सदस्यगण
 - 8) महिला संगठनों के कार्यकर्ता, गैत्री संगम
 - 9) पिछड़े तबकों के लिए कार्य कर रहे स्वयं सेवी समूहों के सदस्यगण
 - 10) समाजसेवी व सामाजिक कार्यकर्ता
 - 11) शिक्षित बंदी जिराका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो।
 - 12) अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राक्षम व योग्य समझे।

चयनित पी.एल.वी. के कर्तव्य (ड्यूटी) :-

1. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
2. विधिक सेवा केन्द्र पर निर्धारित दिवस पर निर्धारित समय अवधि में उपस्थित रहेगा।

3. आम नागरिकों के विवादों को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिए निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।
 4. पी.एल.वी. अपने सम्पर्क में आने वाले लोगों को विधिक सेवा संस्थाओं एवं विधिक सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी देगा, इनका प्रसार करने में कोई कसर नहीं रखेगा।
 5. केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक लाभार्थी की समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ धैर्यपूर्वक सुनेगा, उसे अपने पास मौजूद पीएलवी निर्देशिका की सहायता से उचित सलाह देगा।
 6. (a) प्रत्येक लाभार्थी को उसकी पात्रता के अनुरूप लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बतायेगा।
(b) लोक कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन तैयार करने एवं आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने में लाभार्थियों की मदद करेगा।
 7. पीएलवी द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिये दूरभाष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराना।
 8. पीडित व्यक्ति की समूचित देखभाल व द.प्र.रा. की धारा 357-ए के तहत समूचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना।
 9. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
 10. बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वोयलेशन) होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जानकारी देना।
 11. विवादों का सेटलमेंट, प्रि-लिटिगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।
 12. पी.एल.वी. द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उनके क्षेत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।
 13. पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलिग्राफ, दूरसंचार, विद्युत राप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा व अस्पताल सम्बन्धी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते हैं।
 14. पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी उपलब्ध कराये गये मटेरियल का प्रचार-प्रसार करना।
9. स्पष्टीकरण :- योग्य पाये गये आवेदकों को उनकी सहमति के आधार पर वॉलियन्टर (स्वयंसेवक) के रूप में पीएलवी के पैनल में जोड़ा जावेगा। चयनित पीएलवी किसी भी प्रकार से प्राधिकरण के स्थाई/अस्थायी/संविदा कर्मचारी नहीं माने जायेंगे, इन्हे केवल गानदेय आधार पर विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु चयनित किया जावेगा। चयनित पी.एल.वी. को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा समय-समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पेकेज नहीं दिया जायेगा।

नोट :-

- 1) निम्नलिखित व्यक्ति पेरा लीगल वॉलेन्टियर्स हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं है :-
अधिवक्तागण, राजनीतिक संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए व्यक्ति, एन.जी.ओ. के कार्यकर्ता, किसी अपराध का अभियुक्त हो, ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से पेरालीगल वॉलेन्टियर का कार्य करने में असक्षम हो, ऐसे व्यक्ति जिनके व्यक्तिगत हित किसी भी आधार पर पेरालीगल वॉलेन्टियरर्स स्कीम के हितों को प्रभावित करते हो।
- 2) पीएलवी की नियुक्ति तथा हटाने से संबंधित सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा के पास सुरक्षित रहेंगे।
- 3) प्राप्त आवेदनों की शोर्टलिस्टिंग व जांच के पश्चात् पी.एल.वी. के पैनल में संयोजन हेतु योग्य पाये गये आवेदकों की सूची दिनांक 09.02.2024 को ए.डी.आर. भवन, माही कॉलोनी, बांसवाड़ा के नोटिस बोर्ड पर चरपा की जायेगी। पदों की संख्या से अधिक संख्या में योग्य आवेदकों के आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में साक्षात्कार की तिथि की सूचना भी उक्त

दिनांक को नोटिस बोर्ड पर चरपा की जायेगी। उक्त सूचनाएं जिला न्यायालय की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/banswara> पर भी अपलोड की जायेंगी। इस संयन्ध में आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से पृथक से किसी प्रकार की सूचना इस कार्यालय द्वारा नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से जिला न्यायालय की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/banswara> विजिट करे।



सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

बांसवाड़ा

दिनांक :- 01.02.2024

क्रमांक :- 269-77

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा
- 2- नोटिस बोर्ड, कलेक्ट्रेट, बांसवाड़ा
- 3- नोटिस बोर्ड, जिला परिषद, बांसवाड़ा
- 4- नोटिस बोर्ड, जिला रोजगार कार्यालय, बांसवाड़ा
- 5- नोटिस बोर्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग, बांसवाड़ा
- 6- नोटिस बोर्ड, गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा
- 7- नोटिस बोर्ड, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय, बांसवाड़ा
- 8- नोटिस बोर्ड, डॉ. नागेन्द्र सिंह विधि महाविद्यालय, बांसवाड़ा
- 9- सिस्टम ऑफिसर/सिस्टम असिस्टेंट, जिला एवं रोशन न्यायालय को प्रेषित कर लेख है कि यह आम सूचना जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।



सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

बांसवाड़ा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा

पेरालीगल वॉलेन्टियर्स (पी.एल.वी.) के रूप में चयन हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. वैवाहिक स्थिति :-
4. जाति :-
5. संवर्ग- सामान्य/अजा/अजजा/अपिवर्ग (जिस संवर्ग से सम्बन्धित हो वो लिखें)
6. स्थायी पता :-
7. वर्तमान पता :-
8. वार्ड संख्या (जिला मुख्यालय के निवासी हेतु)/पंचायत सभिति का नाम :-.....
9. दूरभाष/मोबाईल नम्बर :-
10. निकटतम पुलिस स्टेशन :-
11. जन्म तिथि (अंकों में) :-
- जन्म तिथि (शब्दों में) :-
12. शैक्षणिक योग्यता :-
13. यदि आवेदक सेवानिवृत्त कर्मचारी है, तो किस पद से सेवानिवृत्त हुए
14. आवेदक के विरुद्ध कोई फौजदारी प्रकरण लंबित है अथवा नहीं, यदि है तो पूर्ण विवरण
.....
.....
15. राष्ट्रियता :-
16. आवेदक वर्तमान में किसी संस्था, NGO किसी विशेष गुप से जुड़ा है तो उसका विवरण :-
.....

आवेदक अपना
नवीनतम फोटो
चिपकायें।

आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक

में सत्यापित करता/करती हूँ कि प्रार्थना-पत्र में अंकित
उपरोक्त सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है।

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक

नोट :- आवेदक विज्ञप्ति में वर्णित सभी आवश्यक शैक्षणिक, जन्म तिथि, पहचान व निवास स्थान सम्बन्धी सभी वांछित दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करे।